गेमरसिह बनाम रणछोडसिंह

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
9/12/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा अगासडी पटवार मण्डल आसाडी के खसरा नम्बर 1008/476 रकबा 75 बीघा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खातेदारी खेत प्रार्थीगण के पडोस में खसरा नम्बर क्रमशः 1009/476, 1007/476 रकबा क्रमशः 75, 62.07 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के उक्त खसरे मुल खसरा नम्बर 476 के विभक्त खसरा नम्बरान् है। उक्त भूमि के लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी ने उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित हुए एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ को सुना व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत सहमत है। मौका फर्द के संलग्न वर्तमान तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेंस तथा वास्तविक राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा स्थिति में काफी अन्तर है। दोनो में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से वाद ग्रस्त भूमि की प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम दुरूस्त किया जाना अदालत उचित समझती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा अगासडी पटवार मण्डल आसाडी के खसरा नम्बर 1008/476 रकबा 75 बीघा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1009/476, 1007/476 रकबा क्रमशः 75, 62.07 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका फर्द के संलग्न निरीक्षक भू– अभिलेख गिराब द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested